रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 314] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 9, 2002/आषाढ़ 18, 1924
No. 314] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 9, 2002/ASADHA 18, 1924

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2002

सा. का. नि. 485(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 और धारा 36क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) (संशोधन) नियम, 2002 है।

(2) ये 1 अगस्त, 1997 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें नियम, 1986 के नियम 12 के उपनियम (2) में, "पंद्रह प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "तीस प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे।

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव के आधार पर, मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों के मकान किराया भत्ते का पुनरीक्षण 1 अगस्त, 1997 से करने का विनिश्चय किया है। तदनुसार, मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 भूतलक्षी प्रभाव अर्थात् 1 अगस्त, 1997 से संशोधित किए जा रहे हैं।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के किसी सदस्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

[सं. ए-11014/8/2002-प्र. अ.]

प्रदीप के. देब, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. सा. का. नि. 1253(अ), तारीख 5 दिसम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में उनमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए :—

(1) सा. का. नि. 16 (अ) दिनांक 10-01 1989

(2) सा. का. नि. 1048 (अ) दिनांक 13-12-1989

(3) सा. का. नि. 743 (अ) दिनांक 07-10-1994

(4) सा. का. नि. 699 (अ) दिनांक 26-10-1995

(5) सा. का. नि. 471 (अ) दिनांक 04-08-1998

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 2002

G.S.R. 485(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 35 and 36A of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Madhya Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986, *namely* :—

1. (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 2002.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of August, 1997.

2. In the Madhya Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986, in rule 12, in sub-rule (2), for the words "fifteen per cent.", the words "thirty per cent." shall be substituted.

EXPLANATORY MEMORANDUM

On the basis of a proposal from the Government of Madhya Pradesh, the Central Government has decided to revise the House Rent Allowance of Members of Madhya Pradesh Administrative Tribunal with effect from 1st August, 1997. Accordingly, the Madhya Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986 are being amended retrospectively, that is, with effect from 1st August, 1997.

2. It is certified that no Member of the Madhya Pradesh Administrative Tribunal is likely to be affected adversely by the amendment being given retrospective effect.

[No. A-11014/8/2002-AT]

PRADEEP K. DEB, Jt. Secy.

Foot note:— The principal rules were published vide number G.S.R. 1253(E), dated the 5th December, 1986 and subsequently amended vide Nos. :—

(1) G.S.R. 16 (E), dated the 10th January, 1989

(2) G.S.R. 1048(E), dated the 13th December, 1989

(3) G.S.R. 743(E), dated the 7th October, 1994

(4) G.S.R. 699(E), dated the 26th October, 1995

(5) G.S.R. 471(E), dated the 4th August, 1998

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.